



Haryana Industrial Training Directorate,
Headquarters: Chandigarh

आदेश

पंजाब एण्ड हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्ल्यू0पी0 1249 आफ 1993 मे दिनांक 10.2.2011 को दिये गये निर्णय अनुसार श्री देवेन्द्र कुमार तथा श्री जगबीर सिंह को व्यवसायिक शिक्षा स्कीम बन्द होने के कारण इलैक्ट्रीशियन अनुदेशक के पद पर नियुक्ति पत्र जारी किये गये थे। श्री देवेन्द्र कुमार तथा श्री जगबीर सिंह को व्यवसायिक शिक्षा स्कीम बन्द होने उपरान्त आई. टी.आई. काडर में उनकी कार्यग्रहण की तिथि से वरिष्ठता प्रदान की जाती है जिसके अनुसार श्री देवेन्द्र कुमार को वरिष्ठता क्रमांक 418 पर श्री श्याम सिंह, आर.ए.एसी. अनुदेशक के बाद तथा श्री जगबीर सिंह को वरिष्ठता क्रमांक: 419 पर श्री अशोक कुमार, तकनीकी सहायक से ऊपर वरिष्ठता प्रदान की जाती है।

दिनांक 31.8.2016

अंशज सिंह, आई.ए.एस,
निदेशक,
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

पृ० क्रमांक: टीई/CWP No- 19451 of 2014/देवेन्द्र कुमार/स्था०-III/10313 दिनांक: 13/8/16

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है :-

1. श्री देवेन्द्र कुमार, इलैक्ट्रीशियन अनुदेशक, राजकीय आई०टी०आई०, नीसिंग (करनाल)।
2. श्री जगबीर सिंह, इलैक्ट्रीशियन अनुदेशक, राजकीय आई०टी०आई०, जुलाना (जीन्द)।
3. सहायक निदेशक वैबसाईट को विभागीय वैबसाईट में डालने हेतु भेजी जाती है।
4. उप-अधीक्षक(ए०सी०आर०)।

88
13/8/16
सहायक निदेशक (स्थापना-III)
कृते: निदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।